5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED CANCELLED

(59)

समक्ष: राजस्व मंडल ग्वालियर खण्डपीठ जबलपुर (म0प्र0)

रा0रिवीजन प्र0क्र0: निगरानी-0219/2019/जबलपुर/भू0रा0 /2019

(06)

श्रीमति संध्या तिवारी पति श्री श्यामबिहारी तिवारी
निवासी म0नं0 951/3, सगड़ा (गढ़ा पुरवा) जबलपुर - आवेदक

विरुद्ध

राकेश अग्रवाल आत्मज श्री नाथूराम अग्रवाल
निवासी-1117, नेपियर टाउन, जबलपुर (म0प्र0) - अनावेदक

आवेदक द्वारा प्रस्तुत ...
प्रस्तुतकार ...
16 JAN ...
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

राजस्व रिवीजन अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता के तहत

आवेदक निम्न निवेदन करता है -

1: आवेदक न्यायालय अ0क0 . जबलपुर संभाग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक ~~429/अ/14/20~~ 429 अ/6/14-15 संध्यातिवारी विरुद्ध राकेश ~~मित्तल~~ अग्रवाल में पारित आदेश दिनांक 23/10/2018 से क्षुब्ध होकर यह रिवीजन राजस्व मंडल के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

रिवीजन के तथ्य

1: यह कि, आवेदक ने माननीय न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय संभाग गोरखपुर, जबलपुर को न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि- मौजा पुरवा (सगड़ा) स्थित ख0 131/1 रकबा 1800 वर्गफुट जिसमें निर्मित मकान 100 वर्गफुट को दिनांक 30/7/1992 को भूमि स्वामी देवीसिंह पटेल, निवासी- सगड़ा वाले से खरीद की थी और तब से उस पर मकान बनवाकर परिवार सहित निवास करती चली आ रही है । चूंकि उक्त रैय्यत नगरनिगम सीमा के अंतर्गत है इस कारण नगरनिगम के दस्तावेजों में अपीलार्थी का नाम बहैसियत मालिक काबिज दर्ज है । प्रकरण चलने के दौरान तहसीलदार महोदय ने यह पाया कि- उपरोक्त खसरे में नाम देवीसिंह का दर्ज न होकर उसके स्थान पर अनावेदक राकेश कुमार अग्रवाल का नाम दर्ज है इस कारण आवेदिका ने खसरे में सुधार हेतु जो भूल हो गई है उसके लिये एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसका निराकरण तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 11/9/2013 को आदेश पारित करते हुये आदेशित किया गया कि-

.. 2

R. 219/2019/जबलपुर/मु.रा.

29/11/19 जबलपुर	प्रस्तुतकार आवेदक अधि० श्री- पी०सी० पाली- उप० / उनके द्वारा मूल दस्तावेज प्राप्त किये। प्रकरणबद्ध नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रकरण इस न्यायालय से समाप्त किया जाता है। सदस्य	मूल दस्तावेज वापिस प्राप्त [illegible] 29/11/19

[पीछे देखिये

[illegible]